

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

(शिक्षक शिक्षा विभाग)

क्रमांक:-राराशैअप्रस-उदय/वि. 4/प्र-2/फा. 3693/2018

दिनांक: 16-02-2018

अत्यावश्यक

उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त मण्डल

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय,
समस्त जिले ।

विषय:- के.आर.पी. प्रशिक्षण में उपस्थिति कम रहने के संबंध में ।

प्रसंग:- श्रीमान् निदेशक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक: शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2017/634 दिनांक 09-02-2018

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा एस.आई.क्यू.ई. आधारित (कक्षा 1-5) के छः दिवसीय के.आर.पी. प्रशिक्षण जनवरी, 18 से अप्रैल, 2018 तक आयोजित किये जा रहे हैं । उक्त के.आर.पी. प्रशिक्षणों में संभागियों की उपस्थिति अत्यधिक न्यून रह रही है, अतः आप अपने अधीनस्थ जिले के बी.ई.ई.ओ./संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करें कि एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा प्रतिनियुक्त संभागी शिक्षकों को अनिवार्यतः कार्यमुक्त कर प्रशिक्षण स्थल- एस.एस.कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, उमरड़ा, उदयपुर में उपस्थिति देने हेतु सुनिश्चित करें ।

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित कर निदेशालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण भिजवाया जायेगा ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

(दिनेश कुमार कोठारी)
RAS

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

दिनांक: 16-02-2018

क्रमांक:-राराशैअप्रस-उदय/वि. 4/प्र-2/फा. 3693/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1-निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज.सरकार, जयपुर
- 2-शासन उप सचिव महोदय, प्रारंभिक शिक्षा, राज.सरकार, जयपुर
- 3-निदेशक महोदय, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4-कार्यालय प्रति ।

www.rajteachers.com

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर